न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

"प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021"

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
63/2018	06.06.2018	21.10.2021

अनवान

1. मादू पिता मांगू जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पिता शंकर जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. उदा पिता गोकल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. मादु पिता भेरा जाति जाट उम्र वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. गोपाल जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी ब्रह्मपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. शंकर पिता मोहन जाति जाट उम्र वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. नारायण पिता उंकार तेली उम्र वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री एन0एल0जाट प्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

वकील प्रार्थी व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 06.06.2018 को प्रस्तुत किया । जिसमें अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील प्रार्थी आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र रूपाखेडी में हाजिर हुए। हाजिर वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस एकतरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें खातेदार अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, वकील प्रार्थी ने बताया कि मौजा पावटिया पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 472 कुल किता 1 कुल रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

0.14 है0 कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जो अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा पावटिया पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन मे ंस्थित आराजी संख्या 472 कुल किता 1 कुल रकबा 0.14 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested